

31-10-18

पार्थी के वहील उपस्थित । परोक्षार
सरकार उपस्थित । - युंकि मूल जपील
शाज निर्मित हो- चुकी है। कतः पार्थी
का यह पार्थनापत्र दिव्य प्रभाव हीन
होने से आरिज किले जाने योग्य है।
कतः पार्थी का पार्थनापत्र आरिज किले
जाना है निर्णय सुनाया गया। पत्रावली
मैसल सुनाद होकर नम्बर से रक्त हो।

सात. जिला कलकत्ता
सिरोही (राज.)